



उपस्थित। पत्रावली वाला व्यायमी
तन्विक्रियत दि. नं. 8. 24 को पेश
होवे।


SDO

7.8.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व
वकील प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित।
पत्रावली वाला तन्विक्रियत दि. 12.8.24
को पेश होवे।


SDO

12.08.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वकील
प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी प्रकरण
में न्यायालय की अब तक की कार्यवाही
से संतुष्ट हैं एवं आगे कार्यवाही नहीं
चाहते हैं। वकील वादी ने नोट-प्रेस
करने का निवेदन किया। वकील वादी
द्वारा नोट-प्रेस किये जाने के आधार
पर प्रकरण खारिज किया जाता है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद
तन्विक्रियत दफतर होवे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलबाबा

Not
press
9/1